तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **रूघाराम चौधरी बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़)** सू.अ.अपील संख्या 220/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/09/23	अपीलार्थी रूघाराम चौधरी पुत्र नारायणरामनिवासी 1–अ, नारायण निवास, खंगार नगर, खेमा का कुंआ, पाल रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23/06/223 में (1) सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़ में निस्तारित राजस्व प्रकरणों के निर्णय रजिस्टर दिनांक 01.01.2015 से दिनांक 22.06.20223 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि (2) अन्य बिन्दू से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़) से तथ्यात्मंक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	